

रीजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-127 REGISTERED NO. B. (D.N.) 127.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)
PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 139] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 17, 1989/फाल्गुन 26, 1910
No. 139] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 17, 1989/PHALGUNA 26, 1910

इस भाग में अलग पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

(स्वास्थ्य विभाग)

प्रसिद्धता

नई दिल्ली, 17 मार्च, 1989

सा. का. नि. 365(घ)—केंद्रीय सरकार, अधिपति और प्रकाशन समिती अधिनियम, 1940 की धारा
3 के खंड (क) के उपखंड (4) के अनुसरण में, अधिपति कर्तव्यी कलाह्वार बोर्ड के समक्ष करने के पश्चात्
पिम्पलिकाव मुद्रितों को लक्षात अधिपति के रूप में विनिश्चित करती है:—

(1) अथवा योग्य कदाचित्त विधि

728/G1/89

